भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 843
जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

न्यायिक अवसंरचना हेतु निधियों का आवंटन

843. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में न्यायिक अवसंरचना प्रदान करने की केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त योजना पर अब तक मात्र 1,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो अब तक किए गए व्यय और सृजित की गई परिसम्पत्तियों का आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत नए घटक जोड़े गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : केंद्रीय सरकार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के लिए विहित निधि सहभाजन पैटर्न में वित्तीय सहायता प्रदान करके कार्यान्वित कर रही है । सरकार ने 01.04.2021 से 31.03.2026 तक 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए 9000 करोड़ रु. के परिव्यय, जिसके अंतर्गत 5307 करोड़ रु. का केंद्रीय अंश भी है पर इस सीएसएस को जारी रखना अनुमोदित किया है ।

(ख) और (ग) : 2021-22 से अब तक, केंद्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए इस स्कीम के अधीन 2969.55 करोड़ रु. जारी किए हैं, जिसमें आंध्रप्रदेश के लिए 72.32 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है । 2021-22 तक निधियों का राज्य-वार व्यय उपाबंध-1 पर है।

1993-94 में स्कीम के आरंभ से, आज तारीख तक 20,371 न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पदसंख्या के सामने जिला और अधिनस्थ न्यायालय में न्यायालय हॉल की 23,074 संख्या और आवासीय इकाइयों की 20,889 संख्या निर्मित की गई है । आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में, आज तारीख तक स्कीम के अधीन 648 न्यायालय हॉल और 600 आवासीय इकाईयां निर्मित की गई हैं । निर्माणधीन हॉल और आवासीय इकाईयों के साथ न्यायालय हॉल और आवासीय इकाईयों की उपलब्धता राज्य-वार उपाबंध-2 पर है ।

(घ) : इस स्कीम का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों की भौतिक अवसंरचना के साथ देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय आवश्यकताओं में उत्तरोत्तर सुधार करना है, ताकि बेहतर न्याय परिदान की सुविधा मिल सके । 2021 तक, इस स्कीम के अधीन केवल दो

घटक शामिल थे अर्थात न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय हॉल और आवासीय इकाईयों का निर्माण । तथापि, 2021 में स्कीम को विस्तार देते हुए, स्कीम में तीन अतिरिक्त घटक जोड़े गए थे, जो (i) वकीलों के हॉल का निर्माण, (ii) शौचालय परिसर और (iii) वकीलों और वादियों की सुविधा के लिए डिजिटल कंप्यूटर कक्ष है ।

****

उपाबंध-1

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 843 जिसका उत्तर तारीख 26.07.2024 को दिया जाना है के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत/आबंटित निधियां (2021-22 से आज तक) (रु.करोड़ में)	उपयोग की गई निधियां (2021-22 के आज तारीख तक) (रु. करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	72.32	47.65
2	बिहार	106.44	85.47
3	छत्तीसगढ़	83.87	77.39
4	गोवा	33.25	29.73
5	गुजरात	101.84	70.15
6	हरियाणा	20.10	9.85
7	हिमाचल प्रदेश	11.62	5.69
8	झारखंड	63.32	55.32
9	कर्नाटक	242.18	230.28
10	केरल	72.89	55.28
11	मध्य प्रदेश	320.40	284.74
12	महाराष्ट्र	267.64	267.64
13	ओडिशा	78.81	77.83
14	पंजाब	47.42	38.71
15	राजस्थान	222.75	194.09
16	तमिलनाडु	169.51	134.61
17	तेलंगाना	26.61	12.26
18	उत्तर प्रदेश	396.08	318.88
19	उत्तराखंड	109.89	101.63
20	पश्चिमी बंगाल	40.22	21.27
कुल(क)		**2,487.12**	**2,118.47**
1	अरूणाचल प्रदेश	36.47	16.02
2	असम	105.41	91.71
3	मणिपुर	14.56	12.67
4	मेघालय	120.53	112.76
5	मिजोरम	18.36	17.98
6	नागालैंड	17.66	14.30
7	सिक्किम	4.96	1.88
8	त्रिपुरा	40.48	24.45
कुल(ख)		**358.43**	**291.77**
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.95	0.95
2	चंडीगढ़	0.00	0.00
3	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00
4	दमण और दीव	0.00	0.00
5	लक्षद्वीप	0.00	0.00
6	लद्दाख	2.40	2.40
कुल(ग)		**3.35**	**3.35**
1	दिल्ली	46.50	29.84
2	पुडुचेरी	9.55	3.01
3	जम्मू - कश्मीर	64.60	43.78
कुल(घ)		**120.65**	**76.63**
कुल योग(क+ख+ग+घ)		**2,969.55**	**2,490.22**

उपाबंध-2

लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 843 जिसका उत्तर 26.07.2024 को दिया जाना है के भाग (ग) में निर्दिष्ट विवरण

आज तारीख तक न्यायिक अवसंरचना की उपलब्धता का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र	कुल न्यायालय हॉल	निर्माणाधीन कुल न्यायालय हॉल*	कुल आवासीय इकाईयां	निर्माणाधीन कुल आवासीय इकाईयां *
1	अंदमान और निकोबार	15	0	11	0
2	आंध्र प्रदेश	648	90	600	13
3	अरुणाचल प्रदेश	34	5	32	2
4	असम	421	72	385	19
5	बिहार	1541	184	1202	308
6	चंडीगढ़	29	1	29	0
7	छत्तीसगढ़	495	58	453	837
8	दादरा और नागर हवेली	3	0	3	0
9	दमण और दीव	5	3	5	0
10	दिल्ली	699	0	348	70
11	गोवा	47	32	20	0
12	गुजरात	1509	69	1360	65
13	हरियाणा	575	75	558	65
14	हिमाचल प्रदेश	178	10	155	7
15	जम्मू - कश्मीर	202	46	138	8
16	झारखंड	650	12	583	0
17	कर्नाटक	1230	166	1185	47
18	केरल	571	67	555	30
19	लद्दाख	11	0	4	0
20	लक्षद्वीप	3	0	3	0
21	मध्य प्रदेश	1602	392	1769	154
22	महाराष्ट्र	3683	531	3597	144
23	मणिपुर	42	8	16	6
24	मेघालय	70	25	69	90
25	मिजोरम	47	32	38	8
26	नागालैंड	30	4	39	0
27	ओडिशा	836	156	736	97
28	पुडुचेरी	34	0	27	0
29	पंजाब	610	21	624	33
30	राजस्थान	1385	350	1175	157
31	सिक्किम	20	6	15	1
32	तमिलनाडु	1242	40	1363	7
33	तेलंगाना	549	21	472	5
34	त्रिपुरा	83	27	80	33
35	उत्तर प्रदेश	2835	329	2555	258
36	उत्तराखंड	253	66	212	3
37	पश्चिमी बंगाल	887	96	473	26
कुल		**23074**	**2994**	**20889**	**2493**

स्रोतः न्याय विकास 02 पोर्टल के अनुसार

****